

C.F.B 201

188

समक्ष न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय, जबलपुर ॥म०प्र०॥

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक-

अपील 1045-1/08

आवेदक

: A-1045-1/08

बिहारीलाल पटेल पितास्व० श्री बैशाख लाल पटेल निवासी- पटेल नगर सुहागी जिला जबलपुर ॥म०प्र०॥

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

श्री बिहारी लाल  
द्वारा लिखित 29-8-08  
अर्थात् 1045-1-08  
5000/-

अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 47(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

29-8-08

यह पुनरीक्षण माननीय सस०एस० अपौरियाकलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 15/सी-132/2007-2008 के आदेश दिनांक 6/5/08 पक्षकार म०प्र० शासन विरुद्ध बिहारी लाल वालो द्वारा व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है ।

॥१॥ यह कि, आवेदक ने दिनांक 20/9/07 को स्टाम्प 25,005/- रुपये का स्टाम्प क्रय किया था जो कि स्टाम्प बेण्डर दिलीप जैन के यहां से क्रय किया था एवं उक्त स्टाम्प पर विक्रय हेतु अभिलेख दर्शित कर लिया है एवं माननीय उपपंजीयक महोदय के समक्ष दिनांक 22/9/2007 को प्रस्तुत किया था जिसमे माननीय उपपंजीयक महोदय ने उक्त भूमि का पंजीयन नहीं किया गया था । और आवेदक को यह बतया कि जो जमीन की रजिस्ट्री होना है । उसमे विक्रेता ने इस संबंध मे एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया कि यह जमीन उसके पूर्वजो की हक व मालिकाना हक की है परन्तु उपपंजीयक महोदय द्वारा उक्त विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं किया गया जबकि आवेदक ने उक्त भूमि के संबंध मे निर्धारित मूल्यांकन सहित स्टाम्प उपपंजीयक महोदय

बिहारीलाल




Handwritten signature

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 1045-एक/08

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-16	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 16-9-11 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

R  
ASL